न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 151/2011
प्रविष्टि दिनांक 26.05.2011

रामगोपाल बैरवा पुत्र रोडूराम जाति बैरवा निवासी शकूर पुरा ऊर्फ कचोलिया तहसील व जिला टोंक राज0

.... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री योगेश व्यास,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामअवतार सोनी, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 10.10.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम कस्बा शर्की तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 6662/2 मे से 217 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी आवासीय/ व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 888/09 दिनांक 20.12.2010 को निरस्त कर आवासीय/व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 888/09 दिनांक 20.12.2010 तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र/लिखित बहस मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 6662/2 मे से कुल रकबा 217 वर्गमीटर वाके ग्राम कस्बा शर्की मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म माल–2 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थी आवासीय/व्यवसायिक भूमि का मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नही है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0 6662/2 मे से 217 वर्गमीटर,किस्म जमीन माल–2 वाके ग्राम कस्बा शर्की का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा आवासीय/व्यवसायिक दर से चाहा गया है,परन्तु उनके द्वारा इसकी तायद मे संपरिर्वतन आदेश/साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया है। नगर परिषद टोंक द्वारा जारी आवासीय पट्टे मे खसरा नम्बर अंकित नही है और सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक ने अपने निर्णय मे भूमि 40 मीटर के अन्दर होने से अरूपान्तरित माने जाने पर उक्त भूखण्ड संख्या 10 सम्पूर्ण रूप से रूपान्तरित दरो पर मुआवजा प्राप्ति का पात्र प्रार्थी को नही माना है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 10.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आर्बिट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:44 IST
Reason: SelfAttested